पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 01.10.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 01.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 01.10.2025 को जनपद महोबा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को महिला संबंधित समस्याओं/अपराधों के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई, जिनमें शामिल हैं:

वूमेन पॉवर लाइन – 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा – 112

एम्बुलेंस सेवा – 108, चाइल्ड लाइन – 1098, स्वास्थ्य सेवा – 102

महिला हेल्पलाइन – 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन – 1076, साइबर हेल्पलाइन – 1930

कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में समझाया गया। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट वितरित किए गए।

इस अवसर पर थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की भूमिका और उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मिशन शक्ति केन्द्रों का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, मार्गदर्शन और सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 01.10.2025

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 30.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी द्वारा गठित उ0नि0 राजकुमार मय हमराह कां0 अनुराग सचान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त पवन उर्फ बउआ पुत्र रामभवन उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0 349/15 धारा 457/380/411 थाना खरेला जनपद महोबा में मा0 न्यायालय श्रीमान किशोर न्याय बोर्ड महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम बरांय से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1.उ0नि0 राजकुमार

2.कां0 अनुराग सचान

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.पवन उर्फ बउआ पुत्र रामभवन उम्र 22 वर्ष निवासी बरांय थाना खरेला जनपद महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने
01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 30.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी द्वारा गठित उ0नि0 बृजकिशोर शुक्ला मय हमराह हे0का0 अमित कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-71/25 धारा 64(1)/331(4)/74/351(3)/352 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अशोक पुत्र रामपाल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद महोबा को ग्राम बरांय के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 बृजकिशोर शुक्ला
2.हे0का0 अमित कुशवाहा

गिरफ्तार अभियुक्त –

अशोक पुत्र रामपाल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 01.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"मिशन शक्ति केन्द्र की पहल से घरेलू विवाद का हुआ शांतिपूर्ण समाधान, महिला को मिला सुरक्षा का भरोसा"

जनपद महोबा में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत संचालित थाना स्थानीय स्थित मिशन शक्ति केन्द्र ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने हेतु एक घरेलू विवाद प्रकरण में प्रभावी हस्तक्षेप कर सफल समाधान कराया।

आज दिनांक 01.10.2025 को थाना खरेला जनपद महोबा पर आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी पत्नी राजेश निवासी मो0 मानिक प्रथम पूंछा थाना खरेला जनपद महोबा द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपने पति राजेश के विरुद्ध शराब पीकर मारपीट, गाली-गलौज एवं आए दिन होने वाले विवादों के संबंध में अवगत कराया गया।

मामले का संज्ञान लेते हुए मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों/आरक्षियों द्वारा दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर संवाद एवं काउंसलिंग कराई गई। धैर्यपूर्वक समझाने-बुझाने एवं परामर्श के पश्चात पति-पत्नी में आपसी सहमति बन गई और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हो सका।

काउंसलिंग के दौरान आवेदिका के पति राजेश को हिदायत दी गई कि भविष्य में ऐसी घटना पुनः न हो, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह प्रकरण मिशन शक्ति केन्द्र की संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई और प्रभावी काउंसलिंग का परिणाम है, जिसके चलते एक परिवार को टूटने से बचाया गया और महिला को न्याय एवं सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

जनपद महोबा पुलिस मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 01.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 सुरेश कुमार सचान मय उ0नि0 श्यामजी यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त लल्लू श्रीवास पुत्र धनीराम उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम कुलकुंवा थाना खन्ना जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 हरे रंग के झोले मे 14 क्वार्टर देशी शराब ठेका झूम ब्रान्ड नाजायज बरामद करते हुये ग्राम कहरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 108/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 सुरेश कुमार सचान
02. उ0नि0 श्यामजी यादव

गिरफ्तार अभियुक्त –

लल्लू श्रीवास पुत्र धनीराम उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम कुलकुंवा थाना खन्ना जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त के कब्जे से 01 हरे रंग के झोले में 14 क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद होना।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक– 01.10.2025

मीडिया सेल, महोबा

जनपद महोबा की थाना महोबकंठ पुलिस व खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध गुटखा एवं सुपारी का बड़ा जखीरा बरामद (अनुमानित कीमत ₹10 लाख), दो अभियुक्त गिरफ्तार...।

आज दिनांक- 01.10.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा की थाना महोबकंठ पुलिस टीम व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता प्राप्त की है।

संयुक्त टीम द्वारा कनकुंआ मोड़, ग्राम महोबकंठ में कार्रवाई करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों क्रमशः 1.अमित गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता उम्र 32 वर्ष 2.महबूब पुत्र अकबर उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध गुटखा व सुपारी का भारी जखीरा तथा गुटखा बनाने की मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा व एक चार पहिया वाहन बरामद किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना महोबकंठ में मु0अ0सं0- 171/2025 धारा 318(4)/274 बीएनएस, धारा 59 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है, घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

अमित गुप्ता, पुत्र अशोक कुमार गुप्ता, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम टोरियापुरा, थाना कुलपहाड़
महबूब, पुत्र अकबर, उम्र 32 वर्ष, निवासी गांधी आश्रम के पास, बेलाताल, थाना कुलपहाड़

बरामदगी का विवरण : (अनुमानित कीमत ₹10 लाख)

- सुपर पहेली सुगन्धित सुपारी : 15.5 पोली पैक (कुल 55,412 पाउच)
- गुरु सेंटेड सुपारी : 02 पोली पैक (कुल 7,150 पाउच)
- किस्मत कम्पनी का गुटखा : 05 पोली पैक
- गुटखा बनाने की मशीन (लोहे की) इलेक्ट्रॉनिक कांटा (तौल मशीन)
- पहेली रैपर का बंडल (01)
- कटी सुपारी व तंबाकू मिश्रित लगभग 20 किलो + 12 किलो
- मारुति वैगनआर (UP95J8426) सफेद रंग की

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम -

1. प्र0नि0 महोबकंठ श्री विनोद कुमार
2. वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव 3. उ0नि0 मोहम्मद अकरम
4. का0 मनोज कुमार 5. का0 नितिन कुमार, थाना महोबकंठ
6. खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामलखन कुशवाहा 7. खाद्य सुरक्षा अधिकारी चन्द्रकान्त बाजपेयी

👉इस बड़ी कार्रवाई से जनपद महोबा पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अवैध गुटखा, सुपारी व तंबाकू उत्पादों के परिवहन एवं निष्कर्षण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।